बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० – 4 क्रय (12) वाहन–01/2024– / पटना – 15, दिनांक – / /2025

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मासिक किराये के आधार पर विभिन्न श्रेणी में वाणिज्यिक पंजीकृत वाहन उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी/ कंपनी/ संगठन/फर्म के चयन के निमित निविदा आमंत्रण हेतु निविदा (PR No. 022077 (Animal) 2024-25, दिनांक–20.03.2025) का विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।

उक्त आमंत्रित निविदा के आलोक में निम्नांकित कुल–08 (आठ) निविदादाताओं/ वाहन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निविदा समर्पित की गयी :–

क्रम सं०	प्रतिष्ठान/संस्था का नाम एवं पता
01	रंजन टूर एंड ट्रेवल्स, शेखपुरा, राजा बाजार, पटना।
02	शान्वी इन्टरप्राइजेज, मेनपुरा, पटना।
03	मगध टूर एंड ट्रेवल्स, 106, शिवा इन्क्लेव, कंकड़बाग, पटना।
04	हर्षराज कान्ट्रैक्टर्स प्रा० लि०, मेनपुरा, पटना।
05	गंगोत्री टूर एंड ट्रेवल्स, लोकनायक जयप्रकाश भवन, डाक बंगला चौक, पटना।
06	खुशी इन्टरप्राइजेज, शेखपुरा बगीचा, पटना।
07	रोहित टूर एंड ट्रेवल्स, पटना।
08	भारती टूर एंड ट्रेवल्स, मई स्थान के निकट, चितकोहरा, अनिसाबाद, पटना।

दिनांक–17.04.2025 को अपराह्न 3:00 बजे संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनीकी निविदा समिति की बैठक में समिति ने निविदादाताओं द्वारा समर्पित तकनीकी निविदा के लिफाफा को हस्ताक्षरोपरान्त खोल कर अगली बैठक दिनांक–07.05.2025 को तकनीकी मूल्यांकन करने का निर्णय लिया।

दिनांक–07.05.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कुल 08 निविदादाताओं के तकनीकी मूल्यांकन उपरांत क्रम संख्या–02, 03, 05 एवं 07 को छोड़कर शेष कुल–04 निविदादाता यथा–रंजन टूर एंड ट्रेवल्स, हर्षराज कान्ट्रैक्टर्स प्रा० लि०, खुशी इन्टरप्राइजेज एवं भारती टूर एंड ट्रेवल्स द्वारा समर्पित तकनीकी निविदा को विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप पाये जाने के फलस्वरूप सफल घोषित किये जाने का निर्णय लेते हुए तकनीकी निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी।

तकनीकी निविदा में सफल 04 निविदादाता/वाहन आपूर्तिकर्ता/एजेंसी यथा – रंजन टूर एंड ट्रेवल्स, हर्षराज कान्ट्रैक्टर्स प्रा० लि०, खुशी इन्टरप्राइजेज एवं भारती टूर एंड ट्रेवल्स द्वारा समर्पित वित्तीय निविदा के लिफाफों को दिनांक–08.05.2025 को पूर्वाह्न 10:15 बजे संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता मे गठित वित्तीय निविदा समिति द्वारा उपस्थित वाहन आपूर्तिकताओं के समक्ष हस्ताक्षरोपरांत खोलकर Financial Evaulation करते हुए विभाग द्वारा वांछित वाहन की श्रेणी एंव प्रकार के अनुसार मासिक एवं अतिरिक्त कि.मी. का परिचालन के आधार पर निम्नांकित फर्म/एजेंसी के न्यूनतम दर (L1) को स्वीकार किये जाने की अनुशंसा की गई :–

SL	Cate gory	Vehicle Type	Base Rate for 1500 KM per month (including driver fuel, maintenance) in INR	Additional KM rate (including driver fuel, maintenance) in INR	Name of Firm/Agency
1.	A	Maruti Swift Dzire or equivalent AC	**34,421.00 (L1)**	**11.00**	**Bharti Tour & Travels**
2.	B	Innova Crysta AC	**67,421.00 (L1)**	**18.00**	
3.	C	Scorpio / Bolero Neo or equivalent AC	**44,300.00 (L1)**	**14.00**	**Ranjan Tour & Travels**

उपरोक्त वर्णित दर में GST सम्मिलित नहीं होने के कारण समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विपत्र के भुगतान के समय निर्धारित न्यूनतम दर के साथ GST शामिल किया जाएगा एवं भुगतान के समय अभिश्रव पर अन्य सभी अनुमान्य करों की कटौती नियमानुसार कर भुगतान किया जाएगा।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी परिस्थिति में उस श्रेणी के L1 दर पर चयनित सर्विस प्रदाता द्वारा ससमय वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसी परिस्थिति में L1 (न्यूनतम) दर पर ही L2, L3 & L4 निविदादाता से उनके सहमति उपरांत वाहन प्राप्त किया जाएगा।

शर्तें :–

1. सभी सफल वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म/संस्था को आदेश निर्गत करने की तिथि से 01 (एक) महीने के अंदर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के साथ 1,000/–(एक हजार) रूपये के Indian Non Judicial Stamp Paper पर एक एकरारनामा करना होगा।
2. सभी सफल वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म/संस्था को प्रथम बार एकरारनामा करने के समय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से मो० 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) रूपये मात्र का Fixed Deposit Receipt (FDR)/NSC अथवा बैंक गारंटी के रूप में Performance Security जमा करना होगा। उक्त Performance Security अनुबंध के पूरा होने की तिथि से कम से कम 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहना चाहिए।
3. वाहन आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता पूर्ण सेवा प्रदान करेंगे।
4. वाहन आपूर्तिकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि वाहन एवं चालक की सेवा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना या उसके पदाधिकारी कर्मी को प्रतिदिन अथवा आवश्यकता पड़ने पर निश्चित किये गये समय पर उपलब्ध करायेंगे। 15 मिनट से ज्यादा विलंब होने पर विभाग को अधिकार होगा कि वो अन्य वाहन की सेवा ले लेंगे एवं अन्य वाहन को भुगतान किये गये राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता से किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विलम्ब के लिए रुपया 1000/– जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।
5. वाहन आपूर्तिकर्ता संविदा में लिखित शर्त्तों का अनुपालन करेंगे।
6. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किए गये वाहन का Maintenance एवं Servicing, Duty के Hours के बाद अथवा अवकाश के दिनों में विभाग से अनुमति प्रदान करने के उपरांत करेंगे।

7. वाहन आपूर्तिकर्ता, आपूर्ति किए गये वाहन को नियत स्थान पर समय पर ईंधन की टंकी फुल करके भेजेंगे।
8. वाहन के किसी भी ब्रेक डाउन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण की स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने खर्च पर दूसरी व्यवस्था कर उसी मापदंड का वाहन विभाग को उपलब्ध करायेंगे। उक्त स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसा सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करने में जो खर्च करना पड़ेगा, उसकी वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता से की जायेगी।
9. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त किये गये संविदा अनुबंध को अंशतः या पूर्णतः किसी अन्य आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंधित करने की छूट नहीं होगी।
10. वाहन आपूर्तिकर्ता केवल Comprehensive Insurance वाले वाहन की ही सेवा प्रदान करेंगे।
11. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा आवंटित किये गये कर्मी का पुलिस Verification कराया जायेगा।
12. वाहन आपूर्तिकर्ता चालक द्वारा लॉग बुक में प्रतिदिन आरंभिक कि०मी०, अंतिम कि०मी०, परिचालित दूरी अंकित करके वाहन को उपयोग करने वाले पदाधिकारी/पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मी से हस्ताक्षर तुरंत प्राप्त करेंगे।
14. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन का निबंधन बिहार राज्य में व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए।
15. आपूर्ति किये गये वाहन का निबंधन वर्ष–2021 अथवा इसके बाद का होना चाहिए। वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा दिये जाने वाले वाहन के पास वैध निबंधन प्रमाण पत्र, Comprehensive Insurance Third Party and Occupants के साथ PUC Permit एवं अन्य प्रासंगिक लाइसेन्स/ Permit जो DTO एवं अन्य वैधानिक संस्था द्वारा व्यवसायिक परिचालन के लिये आवश्यक होना चाहिए तथा उसका नवीनीकरण अनुबंध की समाप्ति की तिथि के पूर्व होनी चाहिए।
16. किराये पर दिये जाने वाले वाहन पूर्ण रूप से अच्छी स्थिति में, भीतर एवं बाहर से साफ–सुथर,एवं हाईजेनिक स्थिति में होनी चाहिए। वाहन में सीट कवर उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ 10 दिनों के अंतराल पर तौलिया की धुलाई कराना आवश्यक है।
17. सभी वाहन आकस्मिक चिकित्सा किट एवं अग्निशमन उपकरण के साथ सुसज्जित होने चाहिए एवं सीट पर तौलिया लगा होना चाहिए।
18. यह सुनिश्चित हो कि वाहन के विद्युत कनेक्शन, लाईट, हौर्न, मोड़ सूचक लाईट, एयर कंडीशनर एवं वाहन के अन्य उपकरणीय सिस्टम अच्छी स्थिति में हो, समय–समय पर इसकी जाँच होनी चाहिए जिससे विभाग को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
19. वाहन को विभाग/पदाधिकारी/कर्मी द्वारा बताये गये नियत समय एवं स्थान पर खड़ा होना चाहिए। यदि वाहन को पेट्रोल भरवाने, रिपेयरिंग आदि के लिए बाहर ले जाने की जरूरत हो तो सेवा प्राप्तकर्ता को जानकारी में देकर ही ले जाना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि उस समय वाहन सेवा विभाग/पदाधिकारी/कर्मी को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं इसके लिए वाहन आपूर्तिकर्ता पर दण्ड आरोपित किया जा सकता है।
20. वाहन में मोबाईल चार्जर, टिशु पेपर बॉक्स तथा स्वच्छ वायु द्वारा ताजगी महसूस होने वाले यंत्र लगा होना चाहिए।
21. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये वाहन का RC, Insurance, PUC चालक के Driving License की छाया प्रति विभाग को जमा करना होगा।

22. लॉग बुक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में संधारण करना होगा।
23. वाहन स्वतः स्टार्ट वाला होना चाहिए।

प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी का दायित्व :

1. वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले चालक एवं कर्मी द्वारा संपादित कार्यों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे –
2. चालक एवं कर्मी अपना कार्य विनम्रतापूर्वक संपादित करेंगे एवं दूसरे कर्मी से भी उनका व्यवहार विनम्रतापूर्ण होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी पर संविदा शर्त्तों के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। ऐसी गलती बार–बार दोहराने एवं निम्नांकित व्यवहार पर सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा।
   i. कार्यावधि के दौरान चालक/कर्मी का कर्तव्य से इंकार करना यदि, पदाधिकारी या विभाग द्वारा सूचित किया जाता हो।
   ii. असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना।
3. चालक के पास एक मोबाईल, वैध नम्बर के साथ होना चाहिए जिससे विभाग के पदाधिकारी कभी भी संपर्क कर सके।
4. किसी भी कारणवश चालक का मोबाइल नंबर बदली होता है तो इसकी सूचना आपूर्तिकर्ता द्वारा विभाग को तुरंत दी जानी होगी।
5. चालक अपनी कार्यवधि के दौरान हमेशा विभाग से संबंधित पदाधिकारी के संपर्क में रहेंगे।
6. प्रतिनियुक्त चालक के पास वाहन चालन का वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है।
7. चालक साफ–सुथरी वर्दी पहनेंगे। यदि पदाधिकारी द्वारा नियत रंग की वर्दी पहनने का आदेश दिया जाता है तो उसका अनुपालन करेंगे।
8. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर एवं अन्य नशे में धूत होकर कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे। यदि ऐसा होता है तो विभाग को पूर्ण अधिकार होगा कि वे तुरंत संविदा को रद्द कर दे।
9. विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी के व्यवहार एवं उनकी वर्दी के संबंध में कोई शिकायत मिलने पर वाहन आपूर्तिकर्ता इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे एवं इस पर उचित कार्रवाई करेंगे।
10. अतिथियों के साथ अनावश्यक बात–चीत एंव कार्यचालन के समय मोबाईल का उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा। आकस्मिक स्थिति में यदि अत्यावश्यक हो तो, चालक आदेश लेकर वाहन किनारे खड़ा कर मोबाईल का उपयोग कम–से–कम समय के लिए कर सकते हैं।
11. विभाग द्वारा जैसे ही चालक को किसी अतिथि के समक्ष उपस्थित होने या उनसे संपर्क करने का निदेश दिया जाता है, तो चालक, अतिथि को अपने मोबाईल नम्बर की सूचना फोन कर या SMS/Whatsapp द्वारा तुरंत देंगे। मोबाईल एवं SMS/Whatsapp पर आने वाले खर्च वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
12. चालक एवं वाहन को तुरंत–तुरंत बदली नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे किसी बदलाव होने पर बदलाव की सूचना पूर्व से ही वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जानी चाहिए।

नियमों का अनुपालन एवं कर भुगतान :–

1. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म/संस्था वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले चालक का सुरक्षा बीमा जैसेः– प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) या अन्य काई सुरक्षा बीमा कराया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
2. किराया चार्ज में सभी ईंधन खर्च, अनुरक्षण कल–पूर्जा सहित एवं चालक तथा कर्मी का वेतन, बीमा का प्रिमियम, सड़क टैक्स सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त टॉल टैक्स

एवं पार्किंग चार्ज का भुगतान भी वाहन सर्विस प्रदाता द्वारा किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में पदाधिकारी/कर्मी से टॉल टैक्स अथवा पार्किंग चार्ज के भुगतान हेतु अनुरोध नहीं किया जा सकता है।

3. वाहन आपूर्तिकर्ता प्रतिनियुक्त वाहन का व्यापक बीमा थर्ड पार्टी असीमित रिस्क के साथ लेगा। विभाग किसी भी दुर्घटना, आम जनता एवं थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेवार नहीं होगा।

4. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किये गया दावा एवं वाहन दुर्घटना में वाहन पर सवार विभाग के पदाधिकारी/कर्मी को होने वाले नुकसान के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।

5. चालक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने या अन्य मोटर वाहन नियमों के पालन नहीं किये जाने के मामले में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना जिम्मेवार नहीं होगा। चालक एवं वाहन आपूर्तिकर्ता मोटर वाहन कानून के नियम एवं अधिनियम का पूर्णरूपेण अनुपालन करेंगे तथा वर्तमान एवं भविष्य में होने वाले सभी नियम/अधिनियमों का पालन करेंगे। किसी भी त्रुटि के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

6. वाहन आपूर्तिकर्ता श्रम कानून विशेष कर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भरुगतान अधिनियम, भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, Contract Labour (R&A) Act, Workmen Compensation Act etc. का अनुपालन यथासमय सुनिश्चित करेंगे। वाहन आपूर्तिकर्ता के कर्मी/चालक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कर्मी नहीं माने जायेंगे। इनसे संदर्भित नियमों का पालन करना वाहन आपूर्तिकर्ता की जिम्मेवारी होगी।

7. चालक के द्वारा किसी भी तरह की चोरी, दुर्व्यवहार इत्यादि के लिए वाहन आपूर्तिकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

8. संविदा अवधि के दौरान यदि वाहन को आरक्षी/मोटर वाहन अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जब्त किया जाता है या रोक रखा जाता है तो इसकी जिम्मेवारी वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा इसके अनुरूप या उच्च श्रेणी के वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा इस हेतु कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया जायेगा।

9. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किये जाने की स्थिति में वाहन पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कर्मी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को ले जाना प्रतिबंधित होगा। वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, चालक की अनदेखी, तेज गति एवं अनियमित चालन, खराब ब्रेक/ब्रेक फेल के विरूद्ध सुनिश्चित की जायेगी।

10. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गये वाहन को किसी भी स्थिति में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के निर्देश के बिना किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोग नहीं करेंगे। जितने दिन के लिए ऐसा करते पाये जायेंगे, उनसे दोगुने दिन के लिए Pro Rata Basis पर मासिक भाड़ा में से दण्ड स्वरूप राशि की कटौती की जायेगी।

11. प्रतिदिन विभाग द्वारा निर्देशित स्थान पर वाहन के पहुंचने पर परिचालन हेतु कि०मी० की गणना आरंभ कर विभाग द्वारा कार्य समाप्त होने के उपरांत वाहन को रात्रि ठहराव हेतु जाने का निर्देश प्राप्त होने तक ही परिचालित कि०मी० की गणना की जायेगी। किसी भी स्थति में शाम को कार्यस्थल से रात्रि ठहराव स्थल पर वाहन को ले जाने एवं सुबह रात्रि ठहराव स्थल से कार्यस्थल पर पहुंचने में परिचालित यात्रा का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा और न ही उसे लॉग बुक में अंकित किया जायेगा।

12. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा चालक को राज्य मोटर वाहन अधिनियम (अद्यतन संशोधित) के आलोक में वर्दी एवं फोटो पहचान पत्र अपने खर्च पर उपलब्ध कराया जायेगा।

13. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना की मांग पर वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन Tracking System उपलब्ध करायेंगे एवं यात्रा का रिकार्ड/डाटा आगमन से प्रस्थान तक माइलेज के साथ उपलब्ध करायेंगे। माइलेज की गिनती यात्रा आरंभ स्थान से की जायेगी न कोई अतिरिक्त स्थान से।

14. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल जो नियमों के आलोक में हो समर्पित किया जायेगा एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना वाहन आपूर्तिकर्ता को बिल की राशि में, यदि दण्ड स्वरूप कोई कटौती किया जाना आवश्यक हो, उसकी कटौती करते हुए भुगतान करेगा।

15. संविदा अवधि में यदि ईंधन का मूल्य कम/ज्यादा होता है या वाहन से संबंधित अन्य शुल्क कम/ज्यादा होता है तो विभाग के द्वारा इसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। वाहन के लिए श्रेणीवार स्वीकृत दर पर ही भुगतान किया जायेगा।

15. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा श्रेणीवार स्वीकृत दर तथा नियमों एवं शर्तों के आलोक में प्रत्येक माह के छः कार्यदिवस के अन्दर (वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी द्वारा सभी आवश्यक प्रविष्टियों के सत्यापनोपरान्त हस्ताक्षरित वाहन लॉग बुक के साथ) विपत्र प्रस्तुत करना है।

<u>अतिरिक्त किलोमीटर का भुगतान :–</u>

1. यात्रा की दूरी की गिनती यात्रा आरंभ के स्थान से की जायेगी। यात्रा के लिए गैरेज से या गाड़ी को रात्रि में जहाँ रखा जाता है वहाँ से यात्रा आरंभ की दूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. प्रतिदिन नियत समय पर पदाधिकारी/कर्मी जब वाहन को कार्यालय कार्य के लिए उपयोग करना शुरू करेंगे उस समय का कि०मी० संख्या, लॉग बुक में दर्ज करेंगे एवं शाम को कार्यालय कार्य समाप्त होने के उपरांत पुनः कि०मी० संख्या लॉग बुक मे दर्ज करके संबंधित पदाधिकारी/उनके द्वारा प्राधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।

3. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिमाह भुगतान किये जाने वाले राशि में वाहन आपूर्तिकर्ता को 1500 कि.मी. तक के परिचालन (ईंधन एवं टॉल टैक्स सहित) के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। 1500 कि०मी० से अधिक परिचालन होने पर अतिरिक्त कि०मी० का प्रति कि०मी० की दर से अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।

4. वाहन आपूर्तिकर्ता साप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर एवं सूचित किये जाने पर वाहन को परिचालित करने हेतु चालक का वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा किसी अन्य माध्यम से वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं ऐसा करने पर जो खर्च आयेगा उस राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता को दिये जाने वाले मासिक भुगतान की राशि से की जायेगी।

5. मासिक भुगतान की राशि में नियमानुसार GST & TDS, Income Tax & TDS एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित करों की विहित दरों से कटौती की जायेगी।

6. वाहन आपूर्तिकर्ता अपने संस्थान के किसी व्यक्ति को नोडल पदाधिकारी पदाधिकारी नियुक्त करेंगे जिनसे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संपर्क किया जायेगा।

सामान्य शर्तें :

1. अनुबंध दो वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। कार्य संतोषप्रद होने पर एकरारनामा की अवधि का विस्तार अगले एक वर्ष तक किया जा सकेगा।
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संविदा अवधि में यदि सेवा में गुणवत्ता किसी कारणवश असंतोषजनक पायी जाती है तो सक्षम प्राधिकार के निर्णयोपरान्त एक माह पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि वाहन आपूर्तिकर्ता चाहें तो एक माह पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना एकमात्र मध्यस्थ होगें।
4. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेगा।

गैर अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान :–

क्रम सं०	अवस्था	दंड का प्रावधान
01	बिना धुले हुए सीट कवर	₹ 1,000=00 प्रतिदिन
02	अपर्याप्त ईंधन	₹ 1,000=00 प्रतिदिन
03	वाहन मरम्मति के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने की स्थिति में	₹ 500=00 प्रतिघंटा (03 घंटा के लिए) ₹ 2,000=00 प्रतिदिन (03 घंटा के बाद एवं पूरे दिन के लिए)
04	ओडोमीटर में छेड़–छाड़ पाये जाने पर	संबंधित माह के विपत्र के भुगतान पर रोक और सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिरोपित अन्य दंड।
05	चालक द्वारा गलत आचरण/दुर्व्यवहार	₹ 500=00 प्रति घटना/प्रतिदिन।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(अजय प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या – 4 क्रय (12) वाहन–01/2024– /पटना – 15, दिनांक – / /2025

प्रतिलिपि – सभी संबंधित वाहन आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या – 4 क्रय (12) वाहन–01/2024– /पटना – 15, दिनांक – / /2025

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य/उप सचिव/सभी अवर सचिव एवं सभी संबंधित पदाधिकारी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या – 4 क्रय (12) वाहन–01/2024– 2359 /पटना – 15, दिनांक – 28 / 05 /2025

प्रतिलिपि – विभागीय आई०टी०प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।